

परिशिष्ट-4

मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों का मृतक आश्रित सेवा नियमावली 1974 के अन्तर्गत सेवायोजित किए जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

1. मृत सरकारी सेवक का नाम व पद व उसकी जन्म तिथि (अंको में)
2. सरकारी सेवक के मृत्यु का दिनांक
3. मृत्यु के पूर्व सरकारी सेवक जहाँ कार्य कर रहा था उस स्थान/कार्यालय एवं जनपद का नाम
4. मृत्यु का विवरण कारण सहित
5. मृत्यु के समय कर्मचारी आन ड्यूटी था या अवकाश पर था।
6. मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों का नाम, उनकी आयु, तिथि (अंको में) तथा सदस्यों के सम्बन्ध में अन्य ब्योरा जैसे वैवाहिक स्थिति, उनकी आयु, नौकरी, व्यवसाय, कृषि इत्यादि करते हैं या नहीं तथा सरकारी सेवक की मृत्यु के समय आश्रितों की उम्र क्या है/ थी (स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र भी संलग्न करें)
7. कुटुम्ब की वित्तीय दशा का पूर्ण ब्यौरा (इसमें पेंशन एवं अन्य देयों तथा परिवार के पूरे सदस्यों की मासिक एवं वार्षिक आय का विवरण)
8. मृतक का आश्रित परिवार किस आश्रित को सेवा योजन दिलाना चाहता है, उसका नाम, शैक्षिक अर्हताएं (इस सम्बन्ध में मृतक आश्रित की माता या उससे बड़े सभी लोगों एवं छोटे लोगों का आवेदक को सेवायोजित किए जाने हेतु अनापत्ति घोषणा-पत्र कारण सहित स्टाम्प पेपर पर।
9. आवेदक का मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध एवं नाम तथा पत्र व्यवहार का पता
10. मृतक आश्रित अभ्यर्थी जिसपद पर सेवायोजन चाहता है उससे सम्बन्धित सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यता एवं अन्य योग्यताओं का विवरण अंकित करते हुए प्रार्थना-पत्र किस तिथि को प्रस्तुत किया (समर्थन में प्रार्थना - पत्र एवं शैक्षिक प्रमाण-पत्र/अंक पत्र जो पुलिस अधीक्षक/ सेनानायक द्वारा प्रमाणित हो संलग्न किया जाय) स्टाम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र कि वह किसी पद पर सेवायोजित होना चाहता है।

11. आवेदक/मृतक आश्रित अभ्यर्थी का स्थाई पता (यदि पर्वतीय क्षेत्र का निवासी है तो प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय)
12. स्थाई पता पर कराया गया चरित्र सत्यापन प्रपत्र एवं मृतक अभिलेख सम्बन्धित अभिसूचना मुख्यालय का प्रपत्र मूल रूप से संलग्न करें।
13. मृतक आश्रित अभ्यर्थी के चरित्र के बारे में दो राजपत्रित अधिकारियों का प्रमाण-पत्र जो छः मास से अधिक का न हो संलग्न करें।
14. मृतक आश्रित विवाहित है अथवा नहीं। यदि विवाहित है तो जीवित पत्नियों की संख्या (पत्नी का नाम, उम्र तथा शैक्षिक योग्यता)
15. वर्तमान समय में कहीं सेवारत हो तो उसका पूर्ण विवरण या पूर्व में सेवारत रहा है तो उसका पूर्ण विवरण तथा सेवा त्यागने का कारण। इसकी पुष्टि हेतु घोषणा-पत्र मृतक आश्रित से प्राप्त कर संलग्न करें।
16. जाति (अनुसूचित जाति/जनजाति / पिछड़ी जाति का हो तो जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय)
17. मृतक आश्रित अभ्यर्थी का दो पासपोर्ट साईज फोटो जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक /सेनानायक /कार्यालय के पुलिस प्रधान द्वारा ही प्रमाणित हो संलग्न किया जाय।
18. मृत सरकारी सेवक के भर्ती का दिनांक
19. मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति नियमित, आकस्मिक अथवा तदर्थ थी।
20. अस्थाई अथवा स्थाई
21. मृत कर्मचारी की एक पत्नी थी या अधिक (सेवा अभिलेखों में कर्मचारी द्वारा किसे उत्तराधिकारी बनाया गया)
22. मृत सरकारी के एक से अधिक आश्रितों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हों तो उसमें से किसके नियुक्ति हेतु आपके द्वारा संस्तुति की जाती है कारण सहित लिखें।
23. मृतक आश्रित नियमावली 1974 के अन्तर्गत इससे पूर्व कुटुम्ब के किसी आश्रित सदस्य को नियुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई है तो ऐसी स्थिति स्पष्ट की जाये कि किस सम्बन्धी को किस पद पर नियुक्ति दी गई है तथा इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या का उल्लेख करें, जिससे नियुक्ति प्रदान की गयी।

24. मृतक आश्रित के शारीरिक अर्हता एवं स्वास्थ्य/प्रमाण-ऊँचाई, सीना बिना फुलाये व सीना फुलाने पर-आर0आई0/शिविरपाल द्वारा की गयी माप के अनुसार प्रमाण-पत्र, जिसे पुलिस अधीक्षक/सेनानायक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो संलग्न करें।

सीना बिना फुलाये
सीना फुलाने पर

(सम्बन्धित जनपद के सी0एम0ओ0 ऊँचाई द्वारा की गयी माप के अनुसार (सीएमओ) सुस्पष्ट संस्तुति।

25. कार्यालय में मृतक आश्रितों के सेवायोजन सम्बन्धी स्थाई रजिस्टर में इस प्रकरण का अंकन कर दिया गया है अथवा नहीं। स्थाई रजिस्टर का क्रमांक अंकित करें।

26. प्रमाण-पत्र-यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रमांक 01 से 25 तक पर अंकित सम्पूर्ण सूचनाएं पूर्णतः सत्य हैं एवं आवेदक द्वारा माँगे गये पद पर उसे अर्ह पाते हुए उसके सेवायोजन की संस्तुति की जाती है।

नाम
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/
सेनानायक/कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर
(नाम का मुहर अवश्य लगाया जाय)

